पत्रांक– प्र० ५. फो - ३९ /प0व0ज0प0

बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग।

मिशन 2.51– प्रथम समेकित अनुदेश

प्रेषक,

दीपक कुमार सिंह,
प्रधान सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना।
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य योजना एवं विस्तार), बिहार, पटना।
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा), बिहार, पटना।
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार, पटना।
क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पटना/भागलपुर/मुजफ्फरपुर
निदेशक, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण।
सभी वन संरक्षक, बिहार/सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी, बिहार

पटना, दिनांक–

विषय– जल–जीवन–हरियाली योजना अंतर्गत मिशन 2.51 के अंतर्गत दिनांक–09.अगस्त, 2020 को एक दिन में 2.51 करोड़ पौधे लगाने हेतु रणनीति–**प्रथम समेकित अनुदेश।**

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में समय–समय पर विभिन्न बैठकों में तथा विडियो कॉन्फ्रेस के माध्यम से निदेश दिये जाते रहे हैं तथा इस बिन्दु पर दिनांक–28.02.2020 को अरण्य भवन में आयोजित कार्यशाला में भी विस्तृत निर्देश दिये गये हैं तथा इस पर विचार–विमर्श भी किया गया है। इसे समेकित करते हुए मुख्य बिन्दुओं को संक्षेप में नीचे दिये जा रहें हैं:–

1. मिशन 2.51 का प्रमुख उद्देश्य केवल 2 करोड़ 51 लाख पौधे लगाना नहीं है बल्कि इसमें वृहत जन सहभागिता सुनिश्चित करते हुए 9 अगस्त, 2020 को एक वृहत् उत्सव के रूप में मनाना है एवं इसके माध्यम से आमजनों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता को भी बढ़ाना है।

2. इस पूरे अभियान में **वन विभाग की प्रमुख भूमिका एवं पहला उत्तरदायित्व** उत्तम गुणवत्ता वाले पौधे उपलब्ध कराना है। इसी उद्देश्य से विभागीय स्थायी पौधशाला एवं उद्यान पौधशाला के अलावा स्थायी पौधशाला का विस्तार तथा नयी नर्सरियों की स्थापना की गयी है। इन नर्सरियों के माध्यम से निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप मानक गुणवत्ता अर्थात 4 फीट से ऊचे एवं स्वस्थ पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी है। नर्सरी संचालन के क्रम में निम्नाकिंत बिन्दु महत्वपूर्ण हैं:–

(क) प्रत्येक जिले को आवंटित लक्ष्य से 20 प्रतिशत अधिक पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी है।
(ख) उक्त जिला अंतर्गत मनरेगा, कृषि वानिकी एवं जीविका समूहों के माध्यम से किये जाने वाले वृक्षारोपण के लिए भी पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी हैं।

(ग) इसके अलावा पर्याप्त संख्या में पौधे रखनें हैं जो कि विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं/पारा मिलिट्री फोर्स को तथा सामान्य जनों को पौधा रोपण के लिये उपलब्ध कराये जायेंगे।

(घ) नर्सरी में पिछले वर्षों में उगाये गये पौधे, मुख्य मंत्री पौधशाला से प्राप्त किये गये पौधे तथा इस वर्ष उगाये जाने वाले नए पौधो में से वैसे पौधे जो पौधारोपण के समय 4 फीट ऊचे एवं स्वस्थ हो, उनका उपयोग मिशन 2.51 में किया जाएगा।

(ड.) हर जिलावार लक्ष्य के अनुरूप पौधो की प्रजातिवार संख्या का मिलान करना है एवं तद्नुसार उपलब्धता से ज्यादा आवश्यकता को संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय स्तर पर समेकित करेंगे ताकि सर्वप्रथम क्षेत्र के अंतर्गत ही एक प्रमंडल से दूसरे प्रमंडल में पौधो को स्थानांतरित किया जा सके अथवा पूरे क्षेत्र में कमी होने पर मुख्यालय के माध्यम से पौधों का आदान–प्रदान सुनिश्चित हो सके।

(च) विभाग द्वारा आपके नर्सरी में उगाये जा रहे पौधों के अलावा उद्यान विभाग, बिहार सरकार से 25 लाख पौधें एवं कृषि विश्वविद्यालय, सबौर से 7.5 लाख पौधें प्राप्त किये जा रहे हैं जिलें में आवश्यकतानुसार इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

(छ) अगर इसके बाद भी आपूर्ति, माँग की तुलना में कम होती है तो कमी को पूरी करने के लिए पौधों का क्रय बिहार एवं बाहर के निजी नर्सरियों से किया जाएगा जिसके लिए एक बार निविदा की प्रकिया पूरी की जा चुकी है एवं पुनः निविदा की कार्रवाई प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) के स्तर से जा रही है।

(ज) इस प्रकार सभी **वन प्रमंडल पदाधिकारी का प्रथम TASK** यह होगा कि अपने विभाग द्वारा संचालित स्थायी नर्सरी, उद्यान नर्सरी एवं अन्य नर्सरियों में आवश्यकतानुसार Sorting, Grading आदि कर 4 फीट से ऊचे स्वस्थ पौधें की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाये एवं माँग के अनुरूप प्रजातिवार उपलब्धता का ऑकलन कर लिया जाय। पिछले सालों के माँग के अनुभव को ध्यान में रखते हुए, इस साल के लिये प्रजातिवार माँग को extrapolate किया जाये। वन संरक्षक तथा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक अपने–अपने स्तर पर इसे समेकित करते हुए अपने क्षेत्र के लिये माँग के अनुरूप उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

3. अपने विभाग का **दूसरा महत्वपूर्ण TASK यह है** कि हर जिलें को दिये गये लक्ष्य के अनुरूप तथ विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं/पारा मिलिट्री फोर्स/सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा पौधा रोपण के लिए की गयी माँग के अनुरूप स्थल की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाय। इस उद्देशय से मुख्य सचिव महोदय के स्तर पर दो बार विडियों कॉन्फ्रेस के माध्यम से सभी जिला पदाधिकारियों को निर्दश दिये गये हैं तथा कई जिलों में स्थल की सूची भी बनायी गयी हैं। महत्वपूर्ण यह है कि स्थल ऑकलन की प्रकिया में वन प्रमंडल पदाधिकारी का रोल Passive न होकर Active होना चाहिए एवं उन्हें अपने स्तर से संबंधित विभागों से संपर्क स्थापित कर Linear Plantation तथा Block Plantation के लिए बड़े स्थलों की पहचान करनी चाहिए। इसके अलावा जो छिट–फुट पौधा रोपण का प्रस्ताव प्राप्त होता है उनकी अलग सूची बनायी जाये एवं इस संबंध में संबंधित विभागों से अनुरोध किया जाए कि वे स्वयं पौधा रोपण करें तथा इसकी

देखभाल करें। वन विभाग द्वारा मात्र उनकी माँग के अनुरूप पौधें उपलब्ध करा दिये जाएंगे। स्थलों की उपलब्धता सूची 31 मार्च, 2020 तक कराया जाना सुनिश्चित करें।

4. मिशन 2.51 का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य केवल पौधारोपण करना नही है बल्कि पौधारोपण में **अधिक से अधिक जन सहभागिता** प्राप्त करनी है। इसके लिए मुख्यालय स्तर से निम्नांकित प्रयास किये जा रहे है एवं मुख्यालय स्तर से किये जा रहे प्रयासों के बाद जिला स्तर पर इसके कियान्वयन के लिये अलग से निदेश भी जारी किया जाएगा।

(क) 21 जनवरी, 2020 को विभाग द्वारा महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपकमों, NTPC, Power Grid इत्यादि, बिहार में अवस्थित सेना एवं अर्द्धसैनिक बलों के प्रमुख यथा आर्मी, आई0टी0बी0पी0, एस0एस0बी0, सी0आर0पी0एफ0, सी0आई0एस0एफ0 इत्यादि; बड़े संगठनों यथा बी0आई0ए0, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स; धार्मिक संगठन यथा धार्मिक न्यास बोर्ड, शिया बक्फ बोर्ड एवं सुन्नी बक्फ बोर्ड तथा गुरूद्वारा प्रबंधक समिति एवं अन्य बड़े सार्वजनिक संगठनों की बैठक आयोजित की गयी थी। इनमें से अधिकांश संगठनों ने वन रोपण के लिये जो आश्वासन दिया है उनकी संख्या लगभग 20 लाख हो जाती है, परंतु इनमें से अधिकांश संस्थाओं को इसके लिए भूमि एवं पौधे उपलब्ध कराना होगा एवं **यह अपने विभाग का दायित्व होगा**, जैसा कि उपर स्पष्ट किया जा चुका है।

(ख) 20 फरवरी, 2020 को विभाग द्वारा अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग एवं **शिया बक्फ बोर्ड एवं सुन्नी बक्फ बोर्ड** के अध्यक्षों के साथ सभी जिलों के जिला कल्याण पदाधिकारी जो कि इन बक्फ बोर्ड की परिसम्पतियों के लिये नोडल पदाधिकारी हैं उनके साथ एक विडियों कॉन्फ्रेस आयोजित की गयी थी जिसमें उन्हें अपनी–अपनी परिसम्पतियों में वन रोपण के लिये स्थलों की पहचान तथा वृक्षों की माँग का ऑकलन करने का अनुरोध किया गया है। इसके लिए मुख्यालय स्तर से एक पत्र भी अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को दिया गया है। आपका दायित्व यह होगा कि अपने जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी से संपर्क स्थापित कर इन परिसम्पतियों में पौधा रोपण के लिये स्थल का ऑकलन कर लें तथा उन में से कितने स्थानों में वन विभाग को अपने या दूसरे संस्थाओं के माध्यम से पौधा रोपण करना होगा एवं किन स्थलों में ये संस्थायें स्वयं पौधा रोपण कर उसकी देख भाल कर लेंगे, इसका ऑकलन करना होगा। यह कार्य भी प्राथमिकता पर दिनांक–15 अप्रैल, 2020 तक किया जाय।

(ग) **जीविका समूहों की बड़ी भागिदारी** सुनिश्चत करने के लिये यह प्रयास किया जा रहा है कि पूरे राज्य में सकिय लगभग 9 लाख जीविका समूहों द्वारा अपनी स्वयं की जमीन पर या सार्वजनिक जमीन पर प्रति समूह 10 पौधों का वृक्षारोपण किया जाए तथा उसकी देखभाल की जिम्मेवारी ली जाय। इसके लिये 5 मार्च, 2020 को विभाग द्वारा एक बैठक ग्रामीण विकास विभाग तथा जीविका मुख्यालय के साथ रखा गया है। एवं इस संबंध में आपके स्तर पर की जाने वाली कार्रवाई की जानकारी आपको अलग से दी जायेगी।

(घ) मिशन 2.51 का महत्वपूर्ण अवयव **कृषि वानिकी होगा**। जैसा कि आप अवगत है कि कृषि वानिकी योजना में कुछ परिवर्तन किये गये है एवं अब पौधें 10 रू0 की सुरक्षित जमा राशि लेकर किसानों को उपलब्ध कराना है तथा 3 वर्ष तक उन्हें पौधों की सुरक्षा करनी है एवं 50

प्रतिशत उत्तर जीवितता होने पर यह 10 रू0 भी लौटा दिये जाऐंगे एवं प्रत्येक जीवित पौधें पर 60 रू0 की दर से भुगतान किये जाएंगे। इस योजना की सफलता के लिये यह आवश्यक होगा कि वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा **स्वयं पहल कर** किसानों की पहचान की जाय। इसके लिये अपनी जानकारी के आधार पर एवं जिला कृषि पदाधिकारी से स्वयं संपर्क स्थापित कर ऐसे प्रगतिशील एवं बड़े किसानों को लक्षित किया जाए एवं वैसे किसानों के माध्यम से अन्य बड़े एवं प्रगतिशील किसानों तथा छोटे किसानों की सूची बनाकर उनसे आवेदन पत्र प्राप्त कर लिया जाय। यह उल्लेख करना आवश्यक होगा कि पिछले आठ वर्षो में कृषि वानिकी योजना जिस प्रकार से चलायी जा रही है उसमें विभाग की भूमिका Passive रह गयी है जिसमें विभाग द्वारा विज्ञापन निकालकर केवल किसानों का आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उन पर कार्रवाई की जाती है। मिशन 2.51 में परिवर्तन यह है कि **Passive के बजाय Active Role अदा** कर स्वयं किसानों के पास पहुँच कर उनकी पहचान करनी है तथा उनसे आवेदन प्राप्त करना है। प्रयास यह होगा कि 30 अप्रैल 2020 तक अधिक से अधिक संख्या में किसानों से आवेदन प्रत्र प्राप्त कर लिया जाए तथा उन्हें पहले से चयनित कर सूचित कर दिया जाए ताकि वे तदनुसार ही खरीफ की फसल लगायें। किसानों के चयन के साथ–साथ कार्यशालाएँ आयोजित कर पौधा रोपण एवं उसके रख–रखाव की पूरी जानकारी देनी होगी ताकि कृषि वानिकी में उत्तरजीवितता का प्रतिशत बढ़ सके जो कि वर्तमान में खेद जनक है। विभाग द्वारा अपने प्रयासों को supplement करने के लिए कृषि विभाग के माध्यम से कृषि समन्वयक एवं किसान सलाहकारों के माध्यम से भी इस योजना के प्रचार–प्रसार करने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में आपको अलग से निदेश भेजा जायेगा।

(ड.) उपरोक्त के अलावा वन प्रमंडल पदाधिकारी अपने स्तर पर स्थानीय स्वयंसेवी संगठनों तथा अन्य महत्वपूर्ण जिलास्तरीय संगठनों की बैठक जिला पदाधिकारी के सहयोग से बुलवाकर उनसे इस पौधा रोपण कार्यक्रम में अधिक से अधिक सहभागिता प्राप्त करने का प्रयास करें तथा उनकी आवश्यकताओं का भी आंकलन कर लें। ऐसे सभी प्रयास में वन विभाग द्वारा पौधें मुफ्त में उपलब्ध करायें जाएंगे परन्तु उन्हें लगाने और देखभाल की जिम्मेदारी संस्था/संगठन की होगी। इस प्रकार उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि जन सहभागिता प्राप्त करने के लिए मुख्यालय स्तर के साथ–साथ वन प्रमंडल पदाधिकारी के स्तर पर भी Active प्रयास किया जाना हैं।

5. ग्रामीण विकास विभाग के तहत मनरेगा के माध्यम से सभी पंचायतों में पौधा रोपण किया जाना है एवं इसके लिए सभी पंचायतों में स्थल चयन कर लिया गया होगा अथवा अंतिम चरण में होगा। पंचायतों की पौधा रोपण की योजना में चयनित स्थलों की सूची संबंधित उप विकास आयुक्त से प्राप्त कर वन प्रमंडल पदाधिकारी स्वयं द्वारा तैयार की गयी सूची से मिलान कर लेंगे एवं अपनी सूची से वैसे स्थल को हटा देंगे जो मनरेगा के अंतर्गत चयनित हैं।

6. विभाग द्वारा वन क्षेत्र के अंतर्गत एवं वन क्षेत्र से बाहर RDF तथा Linear Plantation किये जाते हैं। मिशन 2.51 के अंतर्गत इस पौधा रोपण में भी जन सहभागिता प्राप्त करनी है एवं यह प्रयास करना है कि पौधा रोपण का कार्य एक उत्सव की तरह हो जिसमें सभी स्थानीय लोग अपनी सहभागिता दें। वन क्षेत्र के अंतर्गत की जाने वाली पौधा रोपण की योजनाओं में उसके

निकटवर्ती ग्रम एवं उसके संलग्न वन प्रबंधन समिति तथा Eco विकास समिति की पूरी तरह सहभागिता बनाकर कार्य किया जाय।

7. जन सहभागिता प्राप्त करने के तहत इस वर्ष मुख्यमंत्री निजी पौधशाला के अंतर्गत जीविका दीदियों को पौधशालायें दी गयी है। इन जीविका दीदियों की कार्यशालाएँ आयोजित कर उन्हें न केवल पौधशाला संरक्षण एवं पौधारोपण की जानकारी दी जाय बल्कि उनसें brand ambassador के तौर पर सहभागिता प्राप्त की जाय ताकि वे अपने–अपने क्षेत्र में कृषि वानिकी के तहत इच्छुक किसानों की भी पहचान करें एवं पौधारोपण के दिन तथा इसके पूर्व पौधारोपण के प्रशिक्षण में भी विभाग को सहयोग दे सकें।

8. प्रत्येक पंचायत के लिए एक संग्रहण स्थल की पहचान करनी होगी जहाँ से उस पंचायत के लिए पौधों की आपूर्ति की जायेगी एवं इस संग्रहण स्थल पर अपनी नर्सरी से पौधे 05 अगस्त, 2020 तक पहुँचा देने होंगे। इसके लिए भी संग्रहण स्थलों की सूची तैयार करने का कार्य प्रारंभ कर लिया जाय एवं इसे 30 अप्रैल, 2020 तक पूरा कर लिया जाय।

इस संबंध में तत्काल की जानेवाली गतिविधियेां का ब्यौरा ऊपर दिया गया है। इसके अलावा अन्य गतिविधियों के बारे में समय–समय पर निदेश जारी किये जायेगे तथा विडियों कॉन्फ्रेंस तथा बैठकों के माध्यम से निदेश दिया जायेगा ।

विश्वासभाजन,

ह0/–

(दीपक कुमार सिंह)

ज्ञापांक– प्र0 ग्रा0 वि0 - 39 पटना, दिनांक– 04/03/2020

प्रतिलिपिः– सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारियों/सभी उप विकास आयुक्तों को सूचनार्थ एवं मिशन 2.51 में आवश्यक सहयोग देने हेतु प्रेषित।

–ह0–

(दीपक कुमार सिंह)

ज्ञापांक– प्र0ग्रा0वि0 - 39 पटना, दिनांक– 04/03/2020

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, ग्रमीण विकास विभाग/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका को सूचनार्थ प्रेषित।

–ह0–

(दीपक कुमार सिंह)

ज्ञापांक– प्र0ग्रा0वि0 - 39 पटना, दिनांक– 04/03/2020

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

04/03/2020

(दीपक कुमार सिंह)